न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 13 / 2017 **FSSA**

1. सरकार जरिये श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा
   एफबीओ मैसर्सः—एस. एस. एन्टरप्राइजेज, चौबे ढाणी संवास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
2. श्रीमति अनिता देवी शर्मा
   एफबीओ मैसर्सः—एस. एस. एन्टरप्राइजेज, चौबे ढाणी संवास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
3. श्री रमेश सिंह रावत नोमिनी मैसर्सः—हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस—पी 39—40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान।
4. मैसर्सः— हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस—पी 39—40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री उम्मेद सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 उपस्थित।
: श्री एस. के. टेलर अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 25.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने दिनांक 25.05.2016 को दोपहर बाद 01:30 बजे मैसर्स :—एस. एस. एन्टरप्राइजेज, चौबे ढाणी संवास, तहसील सिकराय जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा उपस्थित मिला। विक्रेता ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। विक्रेता को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान में 20 कार्टून में 200 एमएल टेट्रा पैकिंग में पैक **Fruit Drink(Mazza Mango)** (20 कार्टून **X** 27 टेट्रा पैक **X** 200 एमएल) आम जनता को बेचने हेतु रखे हुये थे। इसमें मिलावट का शक होने पर एक कार्टून में से 20 टेट्रा पैक **X** 200 एमएल **Fruit Drink(Mazza Mango)** नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिनकी कीमत 222 रूपये नगद देकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता से बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा **Fruit Drink(Mazza Mango)** की 5 टेट्रा पैक पर चिपकाकर पैकिटो को अलग—अलग खाकी कागज में लपेटकर पैकिटो पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—1419 गोंद से चिपकाकर [illegible] को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर पैकिटो को चार—चार जगह से चपड़ी से सील [illegible] कर पैकिटो पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर [illegible] चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो [illegible] तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर [illegible]कर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:48 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.05.2016 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक राज. जयपुर के यहां जमा करवाये। नमूने की दो सील पैकिट व फार्म संख्या 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.05.2016 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द पैकिट व फार्म संख्या 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.05.2016 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1841 / एक्ट / 2016 / 2790 दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** का नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाये जाने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी अभियुक्तगण को तलब किया गया। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री उम्मेद सिंह गुर्जर उपस्थित आये। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री एस. के. टेलर उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्तागण अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस. / 1841 / एक्ट / 2016 / 2790 दिनांक 08.08.2016 के अनुसार अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** के नमूने के लेबल पर **Sunset yellow Colour** अंकित नहीं किया गया है। **Added Mango Flavours(Natural, Nature Identical Flaovuing Substances)** के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी अंकित नहीं होने के कारण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम 3.1.10(1) का उल्लंघन होने के कारण सेक्शन **3(1)(zf)(c)(i)** के अन्तर्गत यह खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2) **(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 ने बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा यह खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** श्री रमेश सिंह रावत नोमिनी मैसर्सः—हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड [illegible] 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान से जैसा खरीदा था वैसा ही विक्रय किया गया है। पैक खरीदकर पैक ही बेचा गया है। हमारी ओर से किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। यह उत्पाद कम्पनी हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड का उत्पाद है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:48 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त प्रकरण की उत्पत्ति खाद्य विश्लेषक ने अपनी विश्लेषण रिपोर्ट नं. एल.एस./1841/एक्ट/2016/2790 दिनांक 08.08.2016 के जांच परिणाम की टेबल में क्रमांक 4 पर **Added colouring matter** को प्रेस्क्राइब्ड स्टैण्डर्डस में **Absent** रहना चाहिये दर्शाकर जांच परिणाम के कॉलम में नमूने में **Sunset yellow** नामक कलर पाया जाना वर्णित किया है जो भ्रामक है। यह **Sunset yellow** नामक कलर उक्त रेगुलेशन नं. 3.1.2(4) के तहत सिन्थेटिक फूड कलर के तौर पर खाद्य पदार्थो में संयोजित किया जाना परमिसिबल है। इसलिये खाद्य विश्लेषक की उक्त रिपोर्ट गलत होने से न्याय निर्णयन चलाये रखना आरोपी पक्ष के प्रति घोर क्षतिकारक होने से एवं न्याय प्रक्रिया के दुरूपयोग से परिपूर्ण होने से प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन प्रारम्भिक प्रक्रम पर ही निरस्तनीय है। जांच रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट रूप से जाहिर है कि आरोपी द्वारा नमूना वस्तु के लेबल पर उक्त फूड कलर बाबत वांछित डिक्लेरेशन नमूने के लेबल पर अंकित की हुई है।

प्रश्नगत नमूने का पेय माजा का नमूना भरते समय दिनांक 25.05.2016 को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर बनाकर निष्पादित करवाये गये फार्म संख्या 5 ए में उक्त नमूने को उत्पादित करने वाली कम्पनी **Mfd By-Hershey India Pvt. Ltd. Distt. Raisen-462046 M.P. Lic. No. 10012026000226** अंकित किया है तथापि इस उत्पादक कम्पनी को अभियोजन पक्ष द्वारा इस प्रकरण में पार्टी नहीं बनाया गया है।

खाद्य विश्लेषक की जांच रिपोर्ट दिनांक 08.08.2019 में वर्णित उल्लंघनता रेगुलेशन नं. 3.1.10(1) के आरोप में मिथ्याछाप यथा परिभाषित धारा **3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety & Standards Act 2006** के तहत धारा 52 **The Food Safety & Standards Act 2006** में वर्णित जुर्माना राशि से दण्डित करवाने हेतु उक्त न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया है। रेगुलेशन नं. 3.1.10(1) **of Food Safety and standards(Food Products Standards and Food Additives), Regulation, 2011 Flavouring Agents** की व्याख्या/विवरण दर्शाता है। किन्तु खाद्य विश्लेषक की उक्त जांच रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि व्याख्यायुक्त उक्त प्रावधान की आरोपीगण ने किस प्रकार से एवं क्या उल्लंघन किया है। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 4 में अंकित **Added colouring matter** में खाद्य पदार्थ के नमूने में **Sunset yellow** नामक कलर होना तथा निर्धारित मापदण्ड में उक्त कलर **Absent** होना चाहिये था, अंकित किया गया है। जबकि नियमानुसार **Sunset yellow** नामक कलर परमिसिबल है। ऐसी स्थिति में खाद्य पदार्थ का नमूना मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता है। अतः परिवाद को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या .एल.एस./1841/एक्ट/2016/2790 दिनांक 08.08.2016 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** का नमूना मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 (2)**(II)** का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 52 में वर्णित है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:48 IST
Reason: Self Attested

प्रकरण संख्या : 13 / 2017 **FSSA**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 श्री रमेश सिंह रावत नोमिनी मैसर्सः–हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस–पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान द्वारा मिसब्राण्ड **(Misbrand)** स्तर के खाद्य पदार्थ **Fruit Drink(Mazza Mango)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 श्री रमेश सिंह रावत नोमिनी मैसर्सः–हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस–पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान एवं अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 4 मैसर्सः–हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस–पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान पर 2,00,000 / –(अक्षरे दो लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त संख्या 3 व 4 उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 25.06.2025 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)** के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA**/ 2025 / दिनांकः– .06.2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा एफबीओ मैसर्सः–एस. एस. एन्टरप्राइजेज, चौबे ढाणी संवास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. श्रीमति अनिता देवी शर्मा एफबीओ मैसर्सः–एस. एस. एन्टरप्राइजेज, चौबे ढाणी संवास, तहसील सिकराय जिला दौसा।
5. श्री रमेश सिंह रावत नोमिनी मैसर्सः–हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस–पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान।
6. मैसर्सः– हिन्दूस्तान कोको कोला बेवरेज प्रा. लिमिटेड, एस–पी 39–40 रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया कालाडेरा, चौमू राजस्थान।

(रामस्वरूप चौहान)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:48 IST
Reason: SelfAttested